

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सुकमा वन मण्डल, सुकमा

Phone - Office-(07864) 284209, Fax-(07864) 284300 E-mail - dfosukma@yahoo.co.in

क्रमांक/व.त.अ./ 1102

सुकमा, दिनांक 16/06/2023

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू-प्रबंध/व.सं.अ.)

छत्तीसगढ़ रायपुर

विषय :- सुकमा जिले के सुकमा वनमंडल अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु जियो डिजिटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा Laying of OFC along with RoW (Road Corridor) under Network strengthening and Providing Connecting to Rural Areas in Sukma District of Chhatisgarh हेतु क्षेत्रफल 3.857 हे. पंजीयन क्रमांक **FP/CG/OFC/155722/2022**

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध-2/115-940-A /1318 दिनांक 02/06/2023

—00—

विषयांकित संदर्भित पत्र के संबंध में निवेदन है कि सुकमा जिले के सुकमा वनमंडल के अंतर्गत तोंगपाल - सुकमा, सुकमा - दोरनापाल, दोरनापाल - कोंटा, मोखपाल - सुकमा, तोंगपाल - छिंदगढ़ एवं चिंतागुफा-दोरनापाल मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 234.020 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.287 हे., संरक्षित वनभूमि रकबा 1.355 हे. एवं राजस्व वनभूमि रकबा 1.215 हे. कुल 3.857 हे. वनभूमि गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत तैयार कर प्रेषित प्रस्ताव में में पाई गई कमियाँ ऑनलाईन 03 बिन्दुओं एवं ऑफलाईन 06 बिन्दुओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव पेशित करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

उक्त प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत पायी गई त्रुटियों को निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव 04 - 04 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

ऑनलाईन त्रुटिया:-

क्र.	आपत्ति बिन्दु	पालन प्रतिवेदन
1	Form A Part-II के कालम 5 में वन मंडलाधिकारी कार्यालय द्वारा Proposed area fall in to working plan circle SCI, RWC, PWC में सम्मिलित है, लेख किया गया है जिसमें 1.215 हे. राजस्व वनभूमि भी सम्मिलित है। स्थित स्पष्ट करें।	उक्त क्षेत्र का स्थिति वेब पोर्टल पर सुधार किया है।
2	Form A Part-II के कालम 16 में भाग -2 अपलोड नहीं हैं जिसे अपलोड करें।	फार्म A भाग - 02 को वेब पोर्टल के कॉलम नं. 16 पर अपलोड नहीं होने के कारण उक्त फार्म A भाग - 02 Additional information में अपलोड किया गया है।

3	कलेक्टर कार्यालय द्वारा FRA Certificate एवं राजस्व वन भूमि का NOC upload नहीं किया गया है। जानकारी अपलोड करावें।	FRA Certificate एवं राजस्व वन भूमि का NOC वेब पोर्टल पर अपलोड किया गया है।
---	--	--

ऑफलाईन त्रुटिया:-

क्र.	आपत्ति बिन्दु	पालन प्रतिवेदन
1.	प्रस्ताव के कडिका क्रमांक 03 वनक्षेत्र का विवरण के पृष्ठ क्र. 12 से 17 में प्रकरण में आवेदित भूमि आरक्षित वन भूमि, संरक्षित वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि को छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ-5-05/2022/10-2 दिनांक 29.03.2023 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न करें (छायाप्रति संलग्न)।	प्रस्ताव के कडिका क्रमांक 03 वनक्षेत्र का विवरण के पृष्ठ क्र. 12 से 17 में प्रकरण में आवेदित भूमि आरक्षित वन भूमि, संरक्षित वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि को छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ-5-05/2022/10-2 दिनांक 29.03.2023 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।
2.	प्रस्ताव के कडिका क्रमांक 07 पृ.क्र. 36 से 44 में व्यवस्थित फार्म-IV को आवेदक संस्थान द्वारा प्रमाणित किया गया है। फार्म - IV में वन मंडलाधिकारी का हस्ताक्षर भी लिया जाना होता है। वन मंडलाधिकारी का हस्ताक्षर कराया जावे।	प्रस्ताव के कडिका क्रमांक 07 पृ.क्र. 36 से 44 में व्यवस्थित फार्म-IV को आवेदक संस्थान द्वारा प्रमाणित किया गया है। फार्म - IV में वनमंडलाधिकारी का हस्ताक्षर किया गया है।
3.	प्रस्ताव के कडिका क्रमांक 08 पृ.क्र. 45 प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप में केवल आवेदक संस्थान द्वारा हस्ताक्षर किया गया है जिसमें वनमंडलाधिकारी का हस्ताक्षर भी आवश्यक है। वन मंडलाधिकारी का हस्ताक्षर कराया जावें।	प्रस्ताव के कडिका क्रमांक 08 पृ.क्र. 45 प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप में केवल आवेदक संस्थान द्वारा हस्ताक्षर किया गया है जिसमें वनमंडलाधिकारी का हस्ताक्षर किया गया है।
4.	प्रस्ताव के कडिका क्रमांक 09 के पृ.क्र. 46 न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र में वनमंडलाधिकारी का हस्ताक्षर भी लिया जाना होता है किन्तु उक्त प्रमाण पत्र को आवेदक संस्थान द्वारा प्रमाणित किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र पर वनमंडलाधिकारी का हस्ताक्षर लिया जावे।	प्रस्ताव के कडिका क्रमांक 09 के पृ.क्र. 46 न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र में वनमंडलाधिकारी का हस्ताक्षर किया गया है।

5.	प्रपत्र-3 वन संरक्षक एवं वनमंडलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन पृ.क्र. 58 से 63 के बिन्दु क्रमांक 4 आवेदित क्षेत्र की स्थिति में आवेदित वनभूमि के विवरण को छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ-5-05/2022/10-2 दिनांक 29.03.2022 द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुसार तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रपत्र-3 वन संरक्षक एवं वनमंडलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन पृ.क्र. 58 से 63 के बिन्दु क्रमांक 4 आवेदित क्षेत्र की स्थिति में आवेदित वनभूमि के विवरण को छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ-5-05/2022/10-2 दिनांक 29.03.2022 द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुसार तैयार कर प्रस्ताव संलग्न है।
6.	प्रस्ताव के कंडिका क्रमांक 02 से 21 में सुकमा जिले के सुकमा वनमंडल अंतर्गत को दो बार लिखा गया है जिसमें सुधार किया जावे।	उक्त त्रुटि को सुधार किया गया है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार 04 - 04 प्रतियों में।

वनमण्डलाधिकारी

सुकमा वनमण्डल, सुकमा

सुकमा दिनांक /06/2023

पृ. क्रमांक/व.त.अ./

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य वनसंरक्षक जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर को सूचनार्थ संप्रेषित।
2. असिसटेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सही

वन मण्डलाधिकारी

सुकमा वन मण्डल, सुकमा